



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

वृक्ष नीलामी की नियम एवं शर्तें

1. वृक्ष की नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 31.01.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को लेखा विभाग से रु० 2,400/- (दो हजार चार सौ रुपये मात्र)(2,000+400) की रसीद कटवानी अनिवार्य होगी अथवा विश्वविद्यालय की वेवसाइट से नियम एवं शर्तें डाउन लोड करने की दशा में रु० 2,400/- (दो हजार चार सौ रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा, जो कमेटी कक्ष में दिनांक 31.01.2019 को 3.00 बजे जमा करना होगा।
3. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को रु० 50,000/- (रु० पचास हजार) नगद कमेटी कक्ष में 03.00 बजे जमा करना होगा।
4. क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित शर्तें पूरा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
5. नीलामी के उपरान्त नीलामी में आये उच्चतम बोली के व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों का रु० 50,000/- (रु० पचास हजार) कमेटी कक्ष में ही वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली का 25% तत्काल जमा करना होगा।
7. उच्च बोली वाले व्यक्ति को 07 दिन के अन्दर नीलामी का पूरा पैसा विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करके एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर से वृक्षों की कटान परमिट अधिवहन पास लेकर वृक्षों को हटवाना अनिवार्य होगा।
8. वृक्षों के ले जाने में यदि कोई विश्वविद्यालय की क्षति होती है तो क्रेता को उसकी भरपाई करनी होगी।
9. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय मान्य होगा।
10. प्रार्थी को उपर्युक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 9 तक की सभी शर्तें मान्य हैं।

प्रार्थी

नाम.....

पता.....

.....

Dr. Anurag Singh
for website
25.1.19